रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 318] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 16, 2017/श्रावण 25, 1939
No. 318] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 16, 2017/ SRAVANA 25, 1939

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2017

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2017

सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.13.— भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2017 है।

2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

3. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) में, विनियम 9 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"9 क. अन्य लेनदारों द्वारा दावे.

(1) विनियम 7, 8 और 9 के अंतर्गत आने वाले लेनदारों से भिन्न, ऐसा व्यक्ति, जो लेनदार होने का दावा कर रहा है, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक को व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलैक्ट्रानिक माध्यम से अनुसूची के प्ररूप च में अपने दावे का सबूत प्रस्तुत करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट लेनदार के दावे के अस्तित्व को निम्नलिखित आधार पर साबित किया जा सकेगा –

(क) किसी सूचना उपयोगिता (इन्फारमेंशन यूटिलिटी), यदि कोई है, में उपलब्ध अभिलेख; या

(ख) ऐसे अन्य सुसंगत दस्तावेज़, जो दावे को स्थापित करने के लिए पर्याप्त हों, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित में से कोई एक या सभी आते हैं :—

(i) दावे की तुष्टि की मांग करने संबंधी दस्तावेजी साक्ष्य;

(ii) लेनदार की बैंक विवरणियां, जिनसे यह दर्शित होता हो कि दावे की तुष्टि नहीं की गई है;

(iii) उस न्यायालय या अधिकरण का आदेश, जिसने दावे की तुष्टि न होने पर न्यायनिर्णयन किया है, यदि कोई है ।"

4. मूल विनियमों की अनुसूची के प्ररूप क में, "वित्तीय लेनदार" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "प्रस्तुत कर सकते हैं ।" शब्दों से समाप्त होने वाले पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:—

"वित्तीय लेनदार केवल इलैक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा दावों के अपने सबूत प्रस्तुत करेंगे । अन्य सभी लेनदार, दावों के सबूत व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलैक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा प्रस्तुत कर सकेंगे ।"

5. मूल विनियमों की अनुसूची में, प्ररूप ङ के पश्चात् निम्नलिखित नया प्ररूप च अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"प्ररूप च

लेनदारों द्वारा (वित्तीय लेनदारों और परिचालन लेनदारों से भिन्न) दावे का सबूत

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 9क के अधीन]

तारीख ....

सेवा में,

अंतरिम समाधान व्यावसायिक/समाधान व्यावसायिक

[दिवाला समाधान व्यावसायिक/समाधान व्यावसायिक का नाम]

[सार्वजनिक घोषणा में दिया गया पता]

प्रेषक

[लेनदार का नाम और पता]

विषय: दावे का सबूत प्रस्तुत करना ।

महोदया/महोदय

मैं............[लेनदार का नाम], ... [कारपोरेट ऋणी का नाम] के मामले में कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की बाबत दावे का निम्नलिखित सबूत प्रस्तुत करता हूं । इसके ब्यौरे नीचे उपवर्णित किए गए हैं:

विशिष्टियां

1.	लेनदार का नाम	
2.	लेनदार का पहचान संख्यांक (यदि कोई निगमित निकाय निगमन का पहचान संख्यांक और सबूत देता है । यदि कोई भागीदारी फर्म या व्यष्टिक सभी भागीदारों या व्यष्टियों के पहचान अभिलेख* देता है)	
3.	लेनदार का पत्र-व्यवहार के लिए पता और ईमेल पता	
4.	दावे का विवरण (जिसमें दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख को दावे की राशी शामिल है)	
5.	उन दस्तावेज़ों के ब्यौरे, जिनके प्रति निर्देश से दावा सिद्ध किया जा सकता है	
6.	इस संबंध में ब्यौरे कि दावा कैसे और कब उद्‌भूत हुआ	

7.	कारपोरेट ऋणी और लेनदार के बीच ऐसे किसी पारस्परिक जमा, पारस्परिक ऋण या अन्य पारस्परिक व्यवहार (लेनदेन) के ब्यौरे, जिन्हें दावे के प्रति समायोजित किया जा सकता है	
8.	क. धारित किसी प्रतिभूति, प्रतिभूति के मूल्य और उसकी तारीख, या ख. उस माल या संपत्ति की बाबत, जिसका दावे में निर्देश किया गया है, प्रतिधारण हक व्यवस्था के ब्यौरे	
9.	उस बैंक खाते के ब्यौरे, जिसमें किसी समाधान योजना के अनुसरण में दावे की रकम या उसका कोई भाग अंतरित किया जा सकता है	
10.	दावे के साथ संलग्न उन दस्तावेज़ों की सूची, जिनसे लेनदार को देय दावा और उसकी तुष्टि न होना साबित हो सके	

लेनदार या उसकी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर (यदि यह लेनदार की ओर से प्रस्तुत/हस्ताक्षरित किया जा रहा है तो कृपया प्राधिकार-पत्र संलग्न करें)
नाम स्पष्ट अक्षरों में
लेनदार के साथ स्थिति या संबंध
हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पता

* पैन, पासपोर्ट, आधार या भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान कार्ड

शपथपत्र

मैं, ... (अभिसाक्षी का नाम), वर्तमान निवासी............... (पता अंतःस्थापित करें), सत्यनिष्ठा से यह प्रतिज्ञान और कथन करता हूं कि:

1. ....(कारपोरेट ऋणी का नाम) कारपोरेट ऋणी, दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख को, जो कि................20.. है, ... रुपए (दावे की रकम अंतःस्थापित करें) के लिए न्यायोचित और सही रूप में मेरा ऋणी था।

2. मैने अपने दावे की बाबत नीचे विनिर्दिष्ट दस्तावेज़ों का अवलंब लिया है :

[कृपया दावे के साक्ष्य के रूप में अवलंब लिए गए दस्तावेज़ों की सूची दें]

3. उक्त दस्तावेज़ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सही, विधिमान्य और असली हैं।

4. उक्त दावे की बाबत न तो मैने और न ही मेरे आदेश द्वारा किसी व्यक्ति ने मेरी जानकारी या विश्वास के अनुसार मेरे प्रयोग के लिए, निम्नलिखित के सिवाय (यदि कोई है) किसी रीति में तुष्टि या प्रतिभूति प्राप्त की थी:

[कृपया ऐसे किसी पारस्परिक जमा, पारस्परिक ऋण या अन्य पारस्परिक व्यवहार (लेनदेन) के ब्यौरे दें, जिन्हें दावे के प्रति समायोजित किया जा सकता है]

................................20.. को......................... पर (स्थान अंतःस्थापित करें) मेरे समक्ष सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान किया गया।

नोटरी/शपथ आयुक्त

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, उपरोक्त अभिसाक्षी, एतद्द्वारा सत्यापित और प्रतिज्ञान करता हूं कि इस शपथपत्र के पैरा.... से पैरा.... की अंतर्वस्तुएं मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और इसमें किसी तात्विक तथ्य को छिपाया नहीं गया है ।

.... पर.......................201.. को सत्यापित

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर" .

डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./189/17]

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

टिप्पण : भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.004, तारीख 30 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2017

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA (INSOLVENCY RESOLUTION PROCESS FOR CORPORATE PERSONS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2017

No. IBBI/2017-18/GN/REG013.—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, namely:—

1. These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2017.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as the principal regulations), after regulation 9, the following regulation shall be inserted, namely:—

" 9A. **Claims by other creditors.**

(1) A person claiming to be a creditor, other than those covered under regulations 7, 8, or 9, shall submit proof of its claim to the interim resolution professional or resolution professional in person, by post or by electronic means in Form F of the Schedule.

(2) The existence of the claim of the creditor referred to in sub-section (1) may be proved on the basis of –

(a) the records available in an information utility, if any, or

(b) other relevant documents sufficient to establish the claim, including any or all of the following:—

(i) documentary evidence demanding satisfaction of the claim;

(ii) bank statements of the creditor showing non-satisfaction of claim;

(iii) an order of court or tribunal that has adjudicated upon non-satisfaction of claim, if any."

4. In the principal regulations, in the schedule, in Form A, for paragraph starting with the words "The financial creditors" and ending with the words "electronic means", the following paragraph shall be substituted, namely:—

"The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other creditors may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means."

5. In the principal regulations, in the Schedule, after Form E, the following new Form F shall be inserted, namely:—

"FORM F

PROOF OF CLAIM BY CREDITORS (OTHER THAN FINANCIAL CREDITORS AND OPERATIONAL CREDITORS)

[Under Regulation 9A of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016]

Date ………..

To

The Interim Resolution Professional / Resolution Professional

[*Name of the Insolvency Resolution Professional / Resolution Professional*]

[*Address as set out in public announcement*]

From

[*Name and address of the creditor*]

Subject: Submission of proof of claim.

Madam / Sir,

I, [*Name of the creditor*], hereby submit the following proof of claim in respect of the corporate insolvency resolution process in the case of [*name of corporate debtor*]. The details of the same are set out below:

PARTICULARS

1.	Name of the creditor	
2.	Identification number of the creditor (If an incorporated body corporate, provide identification number and proof of incorporation. If a partnership or individual, provide identification record* of all partners or the individuals)	
3.	Address and email address of the creditor for correspondence	
4.	Description of the claim (Including the amount of the claim as at the insolvency commencement date)	
5.	Details of documents by reference to which claim can be substantiated	
6.	Details of how and when the claim arose	
7.	Details of any mutual credit, mutual debts, or other mutual dealings between the corporate debtor and the creditor which may be set-off against the claim	
8.	Details of: a. any security held, the value of security and its date, or b. retention title arrangement in respect of goods or properties to which the claim refers	
9.	Details of bank account to which the amount of the claim or any part thereof can be transferred pursuant to a resolution plan	
10.	List of documents attached to this claim in order to prove the existence and non-satisfaction of claim due to the creditor	

Signature of the creditor or any person authorised to act on his behalf
(Please enclose the authority if this is being submitted signed on behalf of the creditor)

Name in BLOCK LETTERS
Position with or in relation to the creditor
Address of the person signing

* PAN, Passport, AADHAAR or the identity card issued by the Election Commission of India.

AFFIDAVIT

I, [*name of deponent*], currently residing at [*insert address*], do solemnly affirm and state as follows:

1. [*Name of corporate debtor*], the corporate debtor was, at the insolvency commencement date, being the __________ day of __________ 20__, justly and truly indebted to me for the claim, the value of which amounts to Rupees. [*insert amount of claim*].
2. In respect of my claim, I have relied on the documents specified below:

   [Please list the documents relied on as evidence of claim]
3. The said documents are true, valid and genuine to the best of my knowledge, information and belief.
4. In respect of the claim, I have not nor has any person, by my order, to my knowledge or belief, for my use, had or received any manner of satisfaction or security whatsoever, save and except the following (if any):

[*Please state details of any mutual credit, mutual debts, or other mutual dealings between the corporate debtor and the creditor which may be set-off against the claim.*]

Solemnly, affirmed at [*insert place*] on ________________ day, the __________day of__________ 20_____ .

Before me,

Notary / Oath Commissioner

Deponent's signature

VERIFICATION

I, the Deponent hereinabove, do hereby verify and affirm that the contents of paragraph ___ to __of this affidavit are true and correct to my knowledge and belief and no material facts have been concealed therefrom.

Verified at ______ on this _____ day of ____ 201__ .

Deponent's signature" .

Dr. M. S. SAHOO, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./189/17]

Insolvency and Bankruptcy Board of India

Note : The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 were published in the Gazette of India Extraordinary vide notification No. IBBI/2016-17/GN/REG004 on 30th November, 2016.